न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2023/20

रामलाल आत्मज श्री रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. भवानी शंकर आत्मज श्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
2. भैरूलाल आत्मज श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
3. राजेन्द्र आत्मज श्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
4. विजेन्द्र आत्मज श्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
5. रामरतन आत्मज श्री भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
6. शोजी आत्मज श्री भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
7. मुकेश आत्मज श्री सुन्दरा जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
8. रमेश आत्मज श्री सुन्दरा जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
9. मनीष आत्मज श्री सुन्दरा जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
10. हंसा बाई पुत्री श्री सुन्दरा जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
11. सुशीला श्री सुन्दरा जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
12. राजस्थान राज्य श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बूंदी
13. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

2. श्री रणवीर सिंह आसोलिया, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01 लगायत 11 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 26.07.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 15/2018 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट क्रम 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी में जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 1212 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1282/3 रकबा 5 बीघा स्थित है। जिसके अंतर्गत प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार आसामी है और इसी हैसियत से दिनांक 29.06.2000 से आज तक निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है इस भूमि को प्रार्थी ने तत्कालीन खातेदारान प्रत्यार्थीगण 5 व 6 ने प्रार्थी को मौके पर उसी दिन कब्जा संभला दिया था। प्रार्थी को जो कब्जा संभलाया गया था वह खसरा संख्या 1282/1 के पूर्वी भाग में कब्जा संभलाया था और उसी पर प्रार्थी काबिज है। प्रार्थी ने अपने खाते व कब्जे काश्त की उपरोक्त भूमि पर मौके पर सुरक्षा हेतु तार फैसिंग कर रखी है जो मौके पर मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का मूल खसरा संख्या 1282 है इसका कुल रकबा 42 बीघा 08 बिस्वा था जिसके 1/2 हिस्से के खातेदार प्रत्यार्थीगण संख्या 5 व 6 रामरतन व शोजी थे तथा 1/2 हिस्से के सह खातेदार प्रत्यार्थी सं. 2 व 7 लगायत 10 है जिनके राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में आपस में विभाजन होकर 1282/1 रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा प्रत्यार्थी संख्या 5 व 6 के खाते में रही थी और 1282 रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा प्रत्यार्थी संख्या 2 व 7 एवं 10 के खाते में है। प्रत्यार्थीगण संख्या 5 व 6 ने प्रार्थी को 5 बीघा भूमि विकय करने के पश्चात उनके खाते में शेष रही भूमि में से 14 बीघा भूमि प्रत्यार्थीगण संख्या 1 व प्रत्यार्थी संख्या 3 लगायत 4 को विकय कर दी थी तथा 04 बिस्वा भूमि प्रत्यार्थी सं. 1 व 2 को विकय कर दी है शेष 2 बीघा भूमि प्रत्यार्थीगण संख्या 5 व 6 कमश रामरतन व शोजी के खातेदारी में चली आ रही है। प्रत्यार्थीगण संख्या 5 व 6 द्वारा वादी व अन्य प्रत्यार्थीगण को विकय की गई भूमियों की वक्त बैचान राजस्व नक्शे में कोई तरमीम नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी को विकय की गई और प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज 5 बीघा भूमि का नम्बर 1282/3 बनाया गया है। प्रत्यार्थीगण संख्या 1 व 3 लगायत 4 को विकय की गई 14 बीघा भूमि के बटा नम्बर 1282/2 बनाये गये है। प्रत्यार्थीगण संख्या 1 व 2 को विकय की गई 04 बिस्वा भूमि के बटा नम्बर 1282/4 बनाये गये है तथा शेष रही 2 बीघा भूमि के बटा नम्बर 1281/1 बनाये गये है। अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 21.07.2017 को प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 ने पटवारी हल्का व सर्किल कानूनगों से मिलीभगत करके सर्वथा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से राजस्व नक्शे में गलत तरीके से

मौके पर स्थित पक्षकारों के भौतिक कब्जे के विपरीत व बिना नाप किये सर्वथा गलत तरमीम लाल स्याही से करवा ली है जिससे खसरा संख्या 1282/4 की तरमीम उत्तर से दक्षिण प्रार्थी की करीब 04 बिस्वा भूमि में कर दी। इस प्रकार उक्त तरमीम नियमानुसार मौके पर वास्तविक व भौतिक कब्जे के आधार पर नही है। प्रत्यार्थीगण सं0 01 लगायत 04 उक्त अवैध व अनाधिकृत रूप से की गई तरमीम की आड़ में प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की चरण सं0 01 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी द्वारा की गई तार फैसिंग को तोड़कर प्रार्थी के अधिकार व आधिपत्य की भूमि जो खसरा सं0 1282/3 की है पर से जबरन प्रार्थी को बैदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहते है। जिसके लिए प्रत्यार्थीगण द्वारा प्रार्थी को दिनांक 10.02.2018 को धमकी दी गयी। अतः वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि उक्त अवैध व गलत तरमीम को निरस्त कर मौके पर वास्तविक व भौतिक कब्जे के आधार पर सही तरमीम कर राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। तथा साथ ही प्रत्यार्थी संख्या 01 लगायत 04 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि चरण सं0 01 में वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि पर हो रही तारबन्दी फैसिंग को तोड़कर प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा नहीं करे। व न ही किसी अन्य से करवाये।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.08.2022 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज कर दिया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2022 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.08.2022 के अंतर्गत दिया गया आदेश निरस्त किया जावें।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट को उक्त निर्णय 25.08.2022 की जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम रेस्पो0 द्वारा दिनांक 15.11.2022 को अपीलांट के खाते व कब्जे की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने व रेस्पो0 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज होना बताने

पर अपीलांट द्वारा अपने अभिभाषक से जानकारी की तो प्रार्थना पत्र 25.08.2022 को खारिज होना बताया तब अपीलांट ने दिनांक 15.11.2022 को ही नकल हेतु आवेदन पेश कर दिया। नकल दिनांक 01.12.2022 को प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी हुई। निर्णय से जानकारी तक का समय व नकल का समय मुजरा दिये जाने पर अपील अवधि मध्य पेश है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने विलंब अवधि को क्षम्य करते हुए धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि आदरणीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र होते हुये भी सम्पत्ति की सुरक्षा करने पर विचार नही करके केवल अन्य मुकदमे विचाराधीन होना बताकर प्रार्थना पत्र को खारिज करने पर भारी भूल की है। खसरा सं 1282 मे वक्त बेचान तरमीम नही हो रही थी तत्कालीन खातेदारान द्वारा खसरा सं0 1282 में से जो जो भूमि बेचान की उसका नापकर कब्जा संभला दिया गया इस तथ्य को किसी के द्वारा भी अस्वीकार नही किया गया है ऐसी स्थिति मे रेस्पो० का यह कथन की तरमीम सही की गई है सर्वथा गलत है। वास्तव में खसरा सं0 1200 / 4 की तरमीम अपीलांट के खेत के अंदर दर्शा दी है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट सन 2000 से खसरा सं0 1282/3 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है ऐसी स्थिति में यदि दोरानेवाद उसे गलत तरमीम के आधार पर उसे बेदखल कर दिया गया तो उसे अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही होगी। अपीलांट का प्रथम दृष्टया केस है सुविधा संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है एवं अपूर्णीय क्षति की संभावना भी अपीलांट को है। अपीलांट वक्त बेचान कब्जे मे संभलायी गयी भूमि जिसके चारो तरफ तार फेंसिंग हो रही है पर रेस्पोडेंट द्वारा कब्जा करने से रोकने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाने के लिए निवेदन किया।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि मैने रास्ते हेतु धारा 251–ए के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें ये बाधा डालना चाहते हैं। अपीलांट खुद ही डिमार्केशन को लेकर कन्फ्युज है, कभी ये 1282/1 के पूर्व में, कभी 1282/3 के पश्चिम में, जबकि बीच में अन्य भूमि भी है। अतः इनके अपील के कथन ही स्पष्ट नहीं है। अपीलांट घोषणा के वाद में तरमीम करवाना चाहते हैं। जबकि तरमीम के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में अलग प्रावधान है। हमने किसी की भूमि में दखलअंदाजी नहीं की है। खसरा संख्या 1284/ 4 जिसमें रेस्पो0 सं. 1, 2 का हिस्सा 1/2–1/2 है खसरा संख्या 1282/2 जो रेस्पो0 सं. 1, 3, 4 के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि है उक्त भूमि पर आने जाने का रास्ता खसरा संख्या

1341 गे .मु. रास्ते से होकर खसरा संख्या 1342 की पश्चिम साईड की मेर पर होता हुआ खसरा संख्या 1282/3 की उत्तरी साईड की मेर पर होकर रेस्पो0 के खेत खसरा संख्या 1282/4 व खसरा संख्या 1282/2 पर पहुँचता है यह रास्ता 15 फीट चौड़ा है जिससे होकर ट्रैक्टर टोली गाडी बेल आदि वर्षो दराज पूर्व से आते जाते रहे है। अपीलांटगण उक्त रास्ते की भूमि पर जबरन अवैध अनाधिकृत रूप से तार फेंसिंग कर रास्ता बन्द कर रास्ते की भूमि पर अतिकमण करना चाहते है, खसरा संख्या 1282/3 अपीलांट रामलाल व खसरा संख्या 1342 राजा बाई पत्नी रामलाल मीना निवासी बसोली रोड देई तहसील नैनवां के खातेदारी में दर्ज है। उक्त रास्ते को राजस्व नक्शे में नियमानुसार तरमीम करने व खसरा संख्या 1342 व 1282/3 की जमाबंदी में उक्त रास्ते को अमल करवाने हेतु इस अपील के पूर्व से ही एक राजस्व वाद भवानी शंकर बनाम रामलाल राजाबाई के नाम से अन्तर्गत धारा 251ए प्रार्थना पत्र सं. 154/2017 जेरकार है जिससे नाराज होकर अपीलांट ने आधारहीन तथ्यों पर फर्जी तरीके से विचाराधीन प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पोषनीय नहीं है तथा प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने फोटो प्रति (दावा) दिनांक 28.08.2017 अंतर्गत 251 ए आर. टी. एक्ट, फोटो प्रति जवाब दावा, फोटो प्रति मौका रिपोर्ट ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी दिनांक 25.11.2021, फोटो कापी नक्शा, फोटो प्रति जमाबंदी संवत् 2073–2076 के अुनसार ग्राम देई तहसील नैनवां की खसरा नं0 1282/2 रकबा 14 बीघा किस्म बारानी 2 खातेदार भवानीशंकर राजेन्द्र ना.बा. विजेन्द्र ना. बा. पि. बद्रीलाल संरक्षक वली माता भंवरीबाई कौम मीणा सा. गुढ़ागोपाल जी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। फोटो प्रति जमाबंदी संवत् 2073–2076 के अनुसार ग्राम देई तहसील नैनवां की खसरा नं0 1282/4 रकबा 0.04 बिस्वा बीघा किस्म बारानी 2 खातेदार भवानीशंकर वल्द बद्रीलाल हि. 1/2 सा. गुढागोपाल जी भैरू वल्द मांगीलाल हि. 1/2 कौम मीणा सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। फोटो प्रति जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम देई तहसील नैनवां कुल खसरा 04 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा खातेदार राजबाई पत्नी रामलाल कोम मीणा सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। फोटो प्रति जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम देई तहसील नैनवां खसरा नं0 1282/3 रकबा 5 बीघा खातेदार रामलाल वल्द रामनाथ कोम मीणा सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। फोटो प्रति जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम देई तहसील नैनवां की खसरा संख्या 1341 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 1347 रकबा 10 बिस्वा दोनो खसरा नम्बरान की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है तथा काश्तकार के नाम के कॉलम में पगडंडिया तथा रास्ते (चारागाह के लिए नहीं) अंकित है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने न्यायिक दृष्टांत आर. आर. डी. 14.09.2018 पेज नं0 565–566 पेश करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2022 पूर्णतया सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जावे।

9. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि अपीलांट ने दिनांक 29.06.2000 को पंजीकृत विकय पत्र द्वारा तत्कालीन खातेदारान रेस्पो0 सं0 05 व 06 रामरतन व शोजी से खरीद की थी। भूमि खरीदने के बाद अपीलांट को कब्जा वर्तमान में खसरा सं0 1281/1 के पूर्वी भाग में संभलाया था तथा कब्जा संभलाने से आदिनांक

तक अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं रेस्पो0 सं0 05 व 06 मूल खसरा सं0 1282 कुल रकबा 52 बीघा 08 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्से के सहखातेदार थे शेष 1/2 हिस्से के सहखातेदारान रेस्पो0 सं0 2 व 7 लगायत 10 है। सभी खातेदारों ने आपस में बंटवारा होने पर 1282/1 की 21 बीघा 04 बिस्वा भूमि रेस्पो0 सं0 5 व 6 के खाते में रही थी एवं 1282 रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा रेस्पो0 2 व 7 एवं 10 के खाते में है। अपीलांट द्वारा भूमि खरीदने के बाद रेस्पो0 05 व 06 के द्वारा खसरा नं0 1282/1 की शेष भूमि में से 14 बीघा भूमि रेस्पो0 सं0 01 को रेस्पो0 सं0 03 व 04 को बेचान कर दी थी। एवं 04 बीघा भूमि रेस्पो0 सं0 01 व 02 को बेचान कर दी थी। खसरा नं0 1282/1 की शेष बची 02 बीघा भूमि रेस्पो0 सं0 05 व 06 के खाते चली आ रही है। अपीलांट ने स्वयं कथन किया है कि विकय की गई उक्त भूमियों की वक्त बेचान राजस्व नक्शे में कोई तरमीम नहीं थी। अपीलांट को बेचान की गई भूमि के खसरा नं0 1282/3 बना दिए गए व रेस्पो0 सं0 03 व 04 को बेचान की गई भूमि के नं0 1282/2 बनाये गये व रेस्पो0 सं0 01 व 02 को बेचान की गई भूमि के नं0 1282/4 बनाये गये। शेष 02 बीघा भूमि का खसरा नं0 1282/1 बनाया गया। इस प्रकार अपीलांट उक्त भूमि की कय दिनांक 29.06.2000 से अब तक उसी भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है जिसके खसरा नं0 1282/3 की गलत तरमीम की गयी है। गलत तरमीम के आधार पर अपीलांट को बेदखल न करने व रेस्पों0 द्वारा कब्जा करने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 29.06.2000 के अनुसार रामरतन व शोजी को खसरा नं0 1282/1 की कुल 21 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा भूमि अपीलांट को बेचान की गई है। संयुक्त खातेदारान के मध्य हुये विभाजन के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। उपरोक्तानुसार संयुक्त खाते की 1282/1 रकबा 02 बीघा की जमाबंदी संवत् 2073–2076 पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट के कथनानुसार बेचान की गई भूमि के खसरा नं0 1282/3, 1282/2, 1282/4 तथा 1282/1 की कथित तरमीम किन आधार दस्तावेजों से राजस्व नक्शे में की गई, ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली में नहीं पाए गए। अतः स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। साथ ही उक्त विकय पत्र के आधार पर दर्ज नामांतरकरण की प्रति उपलब्ध नहीं है। संबंधित दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से स्थिति स्पष्ट नहीं है। अपीलांट ने अपने कथन में खसरा नं0 1282/1 के पूर्वी भाग में तरमीम होना बताया है जबकि संलग्न वर्तमान राजस्व नक्शा अनुसार खसरा नं0 1282/1 के पूर्व में अन्य खसरा नं0 भी दर्शित है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम की स्थिति अपीलांट के कथनानुसार स्पष्ट नहीं होती। प्रार्थी अपीलांट अपने कथन की पुष्टि हेतु पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है। जहाँ पर तरमीम होना प्रस्तुत मानचित्र की फोटो प्रति में दर्शाया गया है, इससे स्पष्ट नहीं होता कि मानचित्र में रकबा कम कर दिया। केवल फोटोप्रति मानचित्र के आधार पर रकबा कम होना प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता। पत्रावली में विधिक बंटवारे संबंधी भी कोई दस्तावेज नहीं है। अपीलांट के कथनों में भी अस्पष्टता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। सुविधा संतुलन भी अपीलांट द्वारा विधिक रूप से बंटवारा के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता। अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि वे अपीलांट की भूमि में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे है तथा इस

अपील की आड़ में अपीलांट रास्ते के प्रकरण को उलझाना चाह रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट के पक्ष में नहीं है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 15/2018 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा